

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, NEW
DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 539 OF 2022

Omaram Banjara Vs State of Rajasthan & Ors.

महोदयजी,

उपरोक्त अनवान के प्रकरण में रेस्पॉन्डेंट नम्बर 05 नयारा एनर्जी लिमिटेड
गाँव सवाईपुरा ग्राम पंचायत चोटिला तहसील रोहट जिला पाली 306421 कि
तरफ से जबाव निम्न प्रकार पेश है।

1. यह है कि कार्यालय जिला कलक्टर, पाली के पत्र क्रमांक/
सामान्य/2023/2043 दिनांक 24/02/2023 माफत तहसीलदार रोहट से
दिनांक 09/03/2023 को नोटिस प्राप्त हुआ।
2. यह है कि प्रार्थी ओमराम द्वारा नयारा कम्पनी पर अवैध खनन कर गाँव
से सरकारी जमीन, गौचर व तालाब कि मिट्टी खोदकर अवैध रूप से
खनन किया जिससे पर्यावरण को भारी नुकसान हुआ, यह आरोप प्रार्थी
द्वारा मनगढ़त व झुठे है। नयारा कम्पनी द्वारा सिविल कार्य में लगने वाली
मिट्टी व मुरम के लिए मैसर्स एस. पी. कन्सट्रक्शन जयपुर व मैसर्स एन.
एम. सी. इण्डस्ट्रिज प्रा. लि. मुम्बई को ठेका दिया गया था। जिस पर मैसर्स
एस. पी. कन्सट्रक्शन जयपुर को खनिज अभियन्ता सोजत सिटी जिला
पाली ने एसटीपी संख्या- 66/2020, 67/2020, 68/2020, दिनांक
28/04/2020 व 57/2021 दिनांक 16/02/2021 को गाँव सवाईपुरा
तहसील रोहट जिला पाली के खसरा नम्बर 273/21 में मिट्टी व मुरम के
लिए अनुमति-पत्र जारी किया। इसी प्रकार मैसर्स एन. एम. सी. इण्डस्ट्रिज
प्रा. लि. मुम्बई को भी एसटीपी संख्या- 93/2020, 94/2020, 95/2020,
96/2020, दिनांक 19/03/2021 को खनिज अभियन्ता सोजत सिटी जिला
पाली द्वारा सवाईपुरा तहसील रोहट जिला पाली के खसरा नम्बर 291 में
मिट्टी के लिए अनुमति-पत्र जारी किया गया, इसी प्रकार एसटीपी
संख्या- 97/2020, 98/2020 दिनांक 19/03/2021 को खनिज अभियन्ता
सोजत सिटी जिला पाली द्वारा सवाईपुरा तहसील रोहट जिला पाली के
खसरा नम्बर 58 में




मुरम के लिए अनुमति-पत्र जारी किया जो संलग्न है। अप्रार्थी रेस्पोजेन्ट 05 ने नयारा कम्पनी ने किसी भी प्रकार से पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचाई ना ही गौचर या सार्वजनिक तालाब के भराव क्षेत्र से किसी भी प्रकार कि मिट्टी या मुरम कि खुदाई नहीं कि है। प्रार्थी द्वारा बिलकुल ही तथ्य से परे जाकर झुठे आरोप लगाये है।

3. रेस्पोजेन्ट संख्या 05 ने गाँव चोटिला में किसी भी प्रकार के पेड़ की कटाई नहीं कि है। रेस्पोजेन्ट संख्या 05 द्वारा गाँव सवाईपुरा में 2,34,797.35 वर्गमीटर में डिपो का निर्माण किया गया है। जिसमें सरकार द्वारा जारी विभिन्न आदेशों कि पालना करते हुए राजस्थान राज्य प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड से स्थापना की सहमति व जिलाधिकारी पाली कि एनओसी प्राप्त कि है।
4. रेस्पोजेन्ट 05 द्वारा पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए कुल अधिग्रहीत क्षेत्र में से 34.81% क्षेत्र हरित आवरण व वृक्षारोपण के लिए रखा गया है। अब तक डिपो परिसर में 1500 से अधिक पेड़ लगा चुके है। पौधारोपण और विकास की संख्या बढ़ाने के लिए आगे की योजना भी तैयार की जा रही है।
5. यह है कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के समर्थन में कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया तथा मनगढ़त व झुठे आरोप लगाकर कम्पनी को बदनाम करने के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया है। जिसका जबाव पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र जिससे मय खर्च के साथ खारिज करने के कृपा करावें।



रेस्पोजेन्ट संख्या 05 नयारा एनर्जी लिमिटेड गाँव सवाईपुरा ग्राम
पंचायत चोटिला तहसील रोहट जिला पाली

नोट :- रेस्पोजेन्ट संख्या 05 के द्वारा जवाब कि प्रति रेस्पोजेन्ट संख्या 01, 02, 03, व 04 को आवश्यक कार्य हेतु भेजी जा रही है।



राजस्थान-सरकार

कार्यालय जिला कलेक्टर, पाली

कलेक्टर परिसर, पाली-306401

Tel.-029332-252804 gensec.collector@gmail.com

क्रमांक / सामान्य / 2023 / 2043

दिनांक: 24 फरवरी, 2023

प्रेषित :-

M/s Nayra Energy Company Ltd.
sawaipura village, Chotila, Pali

मार्फत :- तहसीलदार रोहट

विषय :- service of notice dated 12.12.2022 to proponent (M/s Nayra Energy Company Ltd.) in Original Application No. 539/2022 titled "Omaram Banjara Vs state of Rajasthan & Ors." reg.

प्रसंग :- consultant (Judicial) National Green Tribunal, Faridkot House, Copernicus Marg. new delhi of no. NGT/Judicial/OA/539-2022/ dated 12.12.2022 regarding

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्र के क्रम में लेख हैं कि सलाहकार(न्यायिक) नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, फरीदकोट हाउस, कॉपरनिकस मार्ग, नई दिल्ली का प्रसंग वर्णित पत्र M/s Nayra Energy Company Ltd. को नोटिस तामिल करवाने एवं तामिल रिपोर्ट भिजवाने हेतु पत्र प्राप्त हुआ है।

अतः आपको इस पत्र के संलग्न नोटिस की प्रति एवं पत्र भेजकर निर्देशित किया जाता है संलग्न नोटिस को संबंधित कंपनी से सक्षम स्तर तामिल करावकर तामिल रिपोर्ट इस कार्यालय को 3 दिवस में आवश्यक रूप से भिजवाना सुनिश्चित करें।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

(जबर सिंह)

प्रभारी अधिकारी
सामान्य शाखा, कलेक्टर पाली

Received
JAY
09/03/2023

Collector Office, Pali

Section. *Gen.*

S.N. Date: 12/12/22

Collector

Adm OS

National Green Tribunal
Faridkot House, Copernicus Marg,
New Delhi-110001

"By Email"

No. NGT/Judicial/OA/539-2022/

Dated: 12.12.2022

To

District Collector, Pali
Jai Narayan Vyas Colony,
Pali, Rajasthan-306401
Email: dm-pal-rj@nic.in

Sub: Service of Notice dated 12.12.2022 to Project Proponent (M/s Nayra Energy Company Ltd.) in Original Application No. 539/2022 titled "Omaram Banjara Vs State of Rajasthan & Ors."-reg.

Sir,


The aforesaid application was listed before the Hon'ble Tribunal on 06.12.2022, when the Hon'ble Tribunal inter-alia passed the following order (reproduced relevant extracts only):-

"4. Notice be served on the Project Proponent- M/s Nayra Energy Company Ltd., through the District Collector, Pali and for this purpose notice issued to the Project Proponent be sent to the District Collector, Pali by E-mail for getting service of the same effected on it and sending his report in this regard.

5. List for further consideration on 27.03.2023."

In pursuance of the order dated 06.12.2022 passed by Hon'ble Tribunal, notice dated 12.12.2022, is enclosed with the request to service the notice to Project Proponent (M/s Nayra Energy Company Ltd.) and send the service report.

With regards


Consultant (Judicial),
National Green Tribunal

Encl: As stated above.



BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, NEW DELHI
ORIGINAL APPLICATION NO. 539 OF 2022
Omaram Banjara Vs State of Rajasthan & Ors.

To

1. State Of Rajasthan,
Through Chief Secretary,
Government of Rajasthan,
Secretariat, Ashok Nagar, Jaipur, Rajasthan-302005
Email: csraj@rajasthan.gov.in (RESPONDENT NO.1)
2. Principal Secretary, Department of Industries,
Government of Rajasthan,
Office of Commissioner Industries,
Commerce and CSR, Rajasthan
Udyog Bhawan, Tilak Marg, Jaipur-302005
Email: indraj@rajasthan.gov.in/
indrajfo2@rajasthan.gov.in (RESPONDENT NO.2)
3. District Collector, Pali
Jai Narayan Vyas Colony, Pali, Rajasthan-306401
Email: dm-pal-rj@nic.in (RESPONDENT NO.4)
4. M/s Nayra Energy Company Ltd.
(Project Proponent)
Sawaipura Village, Chofila, Rajasthan-306421 (RESPONDENT NO.5)

NOTICE

Whereas the above titled Application was listed before the Tribunal on 06.12.2022 (copy of order, petition and report are enclosed), when the Tribunal inter-alia passed the following order (reproduced relevant extracts only):-

"3. In view of the averments in the application and observations in the report of the Joint Committee, we consider it appropriate to have response of (1) State of Rajasthan through Chief Secretary, Government of Rajasthan, (2) Principal Secretary, Department of Industries, Government of Rajasthan, (3) State PCB, (4) District Collector, Pali and (5) the Project Proponent- M/s Nayra Energy Company Ltd., who stand impleaded as respondents No. 1 to 5. The Registry is directed to prepare and attach memo of parties to the application. Respondent no. 3 is already appearing before this Tribunal through counsel. Notices be issued to respondents No. 1, 2, 4 and 5 requiring them to file their reply/response within two months at judicialngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF and not in the form of Image PDF. Reply by respondent no. 3 be also filed within two month as directed above.

4. Notice be served on the Project Proponent- M/s Nayra Energy Company Ltd., through the District Collector, Pali and for this purpose notice issued to the Project Proponent be sent to the District Collector, Pali by E-mail for getting service of the same effected on it and sending his report in this regard.


5. List for further consideration on 27.03.2023."

2. Now, take further notice that the above matter will be listed for further consideration before the Hon'ble Tribunal on 27th March, 2023, at Faridkot House, Copernicus Marg, New Delhi-110001 through physical hearing (with hybrid option), when you may appear before the Hon'ble Tribunal either in person or by a pleader duly instructed, and file responses/replies, as per directions of the Hon'ble Tribunal vide Order dated 06.12.2022.

3. Take further notice that in default of your appearance on the date above mentioned, the said Application will be heard and determined in your absence.

4. Given under my hand and the seal of this Tribunal, on this 12th December, 2022.

Note: (For Orders, Cause Lists & other information, please visit our website www.greentribunal.gov.in)


Consultant (Judicial), NGT



Item No.07

(Court No. 2)

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI.**

(Through Physical Hearing with Hybrid Option)

Original Application No.539/2022

Omaram Banjara

...Applicant

Versus

State of Rajasthan & Ors.

...Respondents

Date of hearing: 06.12.2022

**CORAM: HON'BLE MR. JUSTICE ARUN KUMAR TYAGI, JUDICIAL MEMBER.
HON'BLE DR. AFROZ AHMAD, EXPERT MEMBER.**

Applicant: None.

Respondent: Mr. Tirupati Gaurav Shahi, Proxy counsel on behalf of Mr.
Nishant Awana, Advocate for Rajasthan PCB.**Application is registered based on a letter petition received by Email.****ORDER**

1. The grievance in the application is that Nayra Energy company is indulging in illegal mining of soil from Goucher (Pasture) land, public ponds and water bodies of nearby villages and uprooted thousands of trees in Chotila, Tehsil Rohat, District Pali (Rajasthan) and thereby damaged the environment.
2. Vide order dated 05.09.2022, this Tribunal constituted a Joint Committee comprising of the State PCB, DFO and Collector, Pali with direction to submit report within one month. In compliance thereof Mr. Rahul Sharma, Regional Officer, RSPCB, Pali has sent report of the Joint Committee vide email dated 02.12.2022.
3. In view of the averments in the application and observations in the report of the Joint Committee, we consider it appropriate to have response of

O.A. No. 539/2022

Omaram Banjara vs. State of Rajasthan & Ors.

-2-

(1) State of Rajasthan through Chief Secretary, Government of Rajasthan, (2) Principal Secretary, Department of Industries, Government of Rajasthan, (3) State PCB, (4) District Collector, Pali and (5) the Project Proponent- M/s Nayra Energy Company Ltd., who stand impleaded as respondents No. 1 to 5. The Registry is directed to prepare and attach memo of parties to the application. Respondent no. 3 is already appearing before this Tribunal through counsel. Notices be issued to respondents No. 1, 2, 4 and 5 requiring them to file their reply/response within two months at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF and not in the form of Image PDF. Reply by respondent no. 3 be also filed within two month as directed above.

4. Notice be served on the Project Proponent- M/s Nayra Energy Company Ltd., through the District Collector, Pali and for this purpose notice issued to the Project Proponent be sent to the District Collector, Pali by E-mail for getting service of the same effected on it and sending his report in this regard.

5. List for further consideration on 27.03.2023.

Arun Kumar Tyagi, JM

Dr. Afroz Ahmad, EM

December 06, 2022
AG

राजस्थान सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, सोजत सिटी जिला पाली

क्रमांक:-खअ/सोजत/एसटीपी/नियम-51(9)(2)/बी-66/2020/

दिनांक 28.04.2020

:-अल्पावधि अनुमति पत्र:-

मैसर्स एस. पी. कन्सट्रक्शन निवासी - 8 बी, साउथ पार्ट, कृष्णा नगर, गोपालपुरा, जयपुर ने श्रीमान् प्रबंधक, नायरा एनर्जी लिमिटेड पता - खामभालिया, पोस्ट बॉक्स नम्बर-24 जिला देवभूमि द्वारका (गुजरात)के कार्यादेश क्रमांक 6300002403 Date 13.11.2019 के द्वारा Civil Construction contract for Petroleum Storage Depot at Pali के लिए राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के नियम 51 (9) (ii) तथा 74 (i) के अनुसार निम्नानुसार खनिज को खोदने एवं हटाने हेतु अल्पावधि अनुमति पत्र के लिए दिनांक 24.04.2020 को ऑनलाईन आवेदन पत्र पेश किया गया, जिसकी हार्ड कॉपी दिनांक 24.04.2020 को कार्यालय में प्रस्तुत की गई।

संवेदक फर्म द्वारा नियमानुसार रॉयल्टी राशि, परमिट फीस कुल राशि रु 112600/- जरिये चालान संख्या जीआरएन 0039216292 दिनांक 24.04.2020 (चालान में अंकित राशि रु 378300/-) से जमा करा दी गई है व डी.एम.एफ.टी. राशि रु 10000/- जरिये चालान संख्या जीआरएन 0039216321 दिनांक 24.04.2020 (चालान में अंकित राशि रु 33600/-) तथा टीसीएस राशि रु 2000/- जरिये चालान संख्या 00703 दिनांक 24.04.2020 (चालान में अंकित राशि रु 6720/-) से जमा करा दिये गये है।


अतः एतद्वारा राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के नियम 51 (9) (ii) तथा 74 (i) के अनुसार निर्धारित शर्तों पर नीचे अंकित विवरण अनुसार खनिज उठाने की अनुमति जारी की जाती है। उक्त अनुमति की अवधि दिनांक 28.04.2020 से 27.10.2020 तक वैध होगी।

क्र. सं.	नाम खनिज	खनिज की मात्रा (टन में)	रॉयल्टी की दर	कुल रॉयल्टी राशि रु	परमिट फीस राशि रु	कुल राशि रु	खनिज उठाने का स्थान
1	2	3	4	5	6	8	9
1	साधारण मिट्टी	25000 टन	4/-	100000/-	12600/-	112600/-	क्षेत्रफल 0.9044 हैक्टर खसरा संख्या 273/21 राजस्व ग्राम सवाईपुरा तहसील रोहट जिला पाली में किये गये संयुक्त सीमांकन रिपोर्ट अनुसार

विशेष शर्तें:-

1. अनुमतिधारक किसी तीसरे पक्ष के विरुद्ध सरकार को क्षतिपूर्ति करेगा तथा ऐसे दावे को जैसे ही वह उत्पन हो, समाधान करेगा।
2. अनुमतिधारक सड़क/भवन, भू-ग्रादि या सार्वजनिक मैदानों/स्थान में कोई बाधा उत्पन नहीं करेगा या उनको कोई नुकसान नहीं करेगा।
3. अनुमतिधारक को विभाग द्वारा ऐसी हिदायत दी जाने पर जहां से खनिज निकाला गया हो सुरक्षा के लिए गड्ढे को पाट देगा या उसके चारों ओर बाड़ लगा देगा।
4. ठेकेदार पत्थर, गिट्टी का उपयोग चिप्स बनाने हेतु नहीं करेगा।


5. अनुमतिधारक द्वारा बाद अवधि के एवं अधिक मात्रा में निकाले गये खनिज पर राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के नियम 51 (11) के तहत पेनल्टी एवं रॉयल्टी राशि की दस गुणा राशि देनी होगी तथा आवेदित क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य भूमि में खनन कार्य नहीं करेगा।
6. अनुमतिधारी खनिज दोहन किसी अन्य भूमि/चारागाह/केचमेंट एरिया/वन विभाग द्वारा आरक्षित भूमि/रक्षित अभयारण्य/राष्ट्रीय उद्यान तथा उनके सेफटी जोन/विभिन्न न्यायालयों द्वारा प्रतिबंधित क्षेत्र/किसी व्यक्ति या संस्था की निजी भूमि में उसकी लिखित सहमति के बिना तथा वैध पट्टाधारी/लाइसेंसी के स्वीकृत क्षेत्र/पंचायत हेतु आरक्षित भूमि/गोचर भूमि/पंचायत द्वारा पौधारोपण क्षेत्र आदि में नहीं करेगा।
7. अनुमतिधारक वन सीमा खनन स्थल के नजदीक हो तो वन सीमा से नियमानुसार निर्धारित दूरी छोड़कर ही खनन कार्य करेंगे तथा सार्वजनिक रास्ते, नदी, नाले व सार्वजनिक स्थल जैसे मंदिर इत्यादि एवं आबादी से नियमानुसार निर्धारित दूरी छोड़कर खनन कार्य करेंगे।
8. खनन कार्य करते समय हैवी ब्लास्टिंग नहीं करेंगे, यदि की जाती है, तो तकनीकी व्यक्ति (ब्लास्टर) की देखरेख में की जाये एवं सुरक्षा के नियमों की पूर्णतया पालना करेगे।
9. अनुमतिधारक द्वारा राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के नियम 74 (1) के अनुसार 2 मीटर गहराई तक ही खनन कार्य किया जायेगा तथा राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 तथा इसमें समय-समय पर होने वाले संशोधनों की पूर्णतया पालना करनी होगी।


 खनि अभियन्ता,
 सोजत सिटी
 दिनांक 28.04.2020

क्रमांक:-समसंख्यक- 772

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है

1. श्रीमान् प्रबंधक, नायरा एनर्जी लिमिटेड पता - खामभालिया, पोस्ट बॉक्स नम्बर-24 जिला देवभूमि द्वारका (गुजरात)-361305
2. खनि कार्यदेशक-11 कार्यालय हाजा।
3. मैसर्स एस. पी. कन्सट्रक्शन निवासी - 8 बी, साउथ पार्ट, कृष्णा नगर, गोपालपुरा, जयपुर।


 खनि अभियन्ता,
 सोजत सिटी

राजस्थान सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, सोजत सिटी जिला पाली

क्रमांक:-खअ/सोजत/एसटीपी/नियम-51(9)(2)/बी-67/2020/

दिनांक 28.04.2020

:-अल्पावधि अनुमति पत्र:-

मैसर्स एस. पी. कन्सट्रक्शन निवासी - 8 बी, साउथ पार्ट, कृष्णा नगर, गोपालपुरा, जयपुर ने श्रीमान् प्रबंधक, नायरा एनर्जी लिमिटेड पता - खामभालिया, पोस्ट बॉक्स नम्बर-24 जिला देवभूमि द्वारका (गुजरात)के कार्यादेश क्रमांक 6300002403 Date 13.11.2019 के द्वारा Civil Construction contract for Petroleum Storage Depot at Pali के लिए राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के नियम 51 (9) (II) तथा 74 (I) के अनुसार निम्नानुसार खनिज को खोदने एवं हटाने हेतु अल्पावधि अनुमति पत्र के लिए दिनांक 24.04.2020 को ऑनलाईन आवेदन पत्र पेश किया गया, जिसकी हार्ड कॉपी दिनांक 24.04.2020 को कार्यालय में प्रस्तुत की गई।

संवेदक फर्म द्वारा नियमानुसार रॉयल्टी राशि, परमिट फीस कुल राशि रू 117100/- जरिये चालान संख्या जीआरएन 0039216292 दिनांक 24.04.2020 (चालान में अंकित राशि रू 378300/-) से जमा करा दी गई है व डी.एम.एफ.टी. राशि रू 10400/- जरिये चालान संख्या जीआरएन 0039216321 दिनांक 24.04.2020 (चालान में अंकित राशि रू 33600/-) तथा टीसीएस राशि रू 2080/- जरिये चालान संख्या 00703 दिनांक 24.04.2020 (चालान में अंकित राशि रू 6720/-) से जमा करा दिये गये है।

अतः एतद्वारा राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के नियम 51 (9) (II) तथा 74 (I) के अनुसार निर्धारित शर्तों पर नीचे अंकित विवरण अनुसार खनिज उठाने की अनुमति जारी की जाती है। उक्त अनुमति की अवधि दिनांक 28.04.2020 से 27.10.2020 तक वैध होगी।

क्र. सं.	नाम खनिज	खनिज की मात्रा (टन में)	रॉयल्टी की दर	कुल रॉयल्टी राशि रू	परमिट फीस राशि रू	कुल राशि रू	खनिज उठाने का स्थान
1	2	3	4	5	6	8	9
1	साधारण मिट्टी	26000 टन	4/-	104000/-	13100/-	117100/-	क्षेत्रफल 0.9293 हैक्टर खसरा संख्या 273/21 राजस्व ग्राम सवाईपुरा तहसील रोहट जिला पाली में किये गये संयुक्त सीमांकन रिपोर्ट अनुसार

विशेष शर्त:-

1. अनुमतिधारक किसी तीसरे पक्ष के विरुद्ध सरकार को क्षतिपूर्ति करेगा तथा ऐसे दावे को जैसे ही वह उत्पन्न हो, समाधान करेगा।
2. अनुमतिधारक सड़क/भवन, भू-ग्रादि या सार्वजनिक मैदानों/स्थान में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करेगा या उनको कोई नुकसान नहीं करेगा।
3. अनुमतिधारक को विभाग द्वारा ऐसी हिदायत दी जाने पर जहां से खनिज निकाला गया हो सुरक्षा के लिए गड़ढे को पाट देगा या उसके चारों ओर बाड़ लगा देगा।
4. ठेकेदार पत्थर, गिट्टी का उपयोग चिप्स बनाने हेतु नहीं करेगा।

5. अनुमतिधारक द्वारा बाद अवधि के एवं अधिक मात्रा में निकाले गये खनिज पर राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के नियम 51 (11) के तहत पेनल्टी एवं रॉयल्टी राशि की दस गुणा राशि देनी होगी तथा आवेदित क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य भूमि में खनन कार्य नहीं करेगा।
6. अनुमतिधारी खनिज दोहन किसी अन्य भूमि/चारागाह/कैचमेंट एरिया/वन विभाग द्वारा आरक्षित भूमि/रक्षित अभयारण्य/राष्ट्रीय उद्यान तथा उनके सेफटी जोन/विभिन्न न्यायालयों द्वारा प्रतिबंधित क्षेत्र/किसी व्यक्ति या संस्था की निजी भूमि में उसकी लिखित सहमति के बिना तथा वैध पट्टाधारी/लाइसेंसी के स्वीकृत क्षेत्र/पंचायत हेतु आरक्षित भूमि/गोचर भूमि/पंचायत द्वारा पौधारोपण क्षेत्र आदि में नहीं करेगा।
7. अनुमतिधारक वन सीमा खनन स्थल के नजदीक हो तो वन सीमा से नियमानुसार निर्धारित दूरी छोड़कर ही खनन कार्य करेंगे तथा सार्वजनिक रास्ते, नदी, नाले व सार्वजनिक स्थल जैसे मंदिर इत्यादि एवं आबादी से नियमानुसार निर्धारित दूरी छोड़कर खनन कार्य करेंगे।
8. खनन कार्य करते समय हैवी ब्लास्टिंग नहीं करेंगे, यदि की जाती है, तो तकनीकी व्यक्ति (ब्लास्टर) की देखरेख में की जाये एवं सुरक्षा के नियमों की पूर्णतया पालना करेंगे।
9. अनुमतिधारक द्वारा राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के नियम 74 (1) के अनुसार 2 मीटर गहराई तक ही खनन कार्य किया जायेगा तथा राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 तथा इसमें समय-समय पर होने वाले संशोधनों की पूर्णतया पालना करनी होगी।


खनि अभियन्ता,
सोजत सिटी
दिनांक 28.04.2020

क्रमांक:-समसंख्यक- 776

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है

1. श्रीमान् प्रबंधक, नायरा एनर्जी लिमिटेड पता - खामभालिया, पोस्ट बॉक्स नम्बर-24 जिला देवभूमि द्वारका (गुजरात)-361305
2. खनि कार्यदेशक-II कार्यालय हाजा।
3. मैसर्स एस. पी. कन्सल्ट्रक्शन निवासी - 8 बी, साउथ पार्ट, कृष्णा नगर, गोपालपुरा, जयपुर।


खनि अभियन्ता,
सोजत सिटी

राजस्थान सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, सोजत सिटी जिला पाली

क्रमांक:-खअ/सोजत/एसटीपी/नियम-51(9)(2)/बी-68/2020/

दिनांक 28.04.2020

:-अल्पावधि अनुमति पत्र:-

मैसर्स एस. पी. कन्सट्रक्शन निवासी - 8 बी, साउथ पार्ट, कृष्णा नगर, गोपालपुरा, जयपुर ने श्रीमान् प्रबंधक, नायरा एनर्जी लिमिटेड पता - खामभालिया, पोस्ट बोकस नम्बर-24 जिला देवभूमि द्वारका (गुजरात)के कार्यादेश क्रमांक 6300002403 Date 13.11.2019 के द्वारा Civil Construction contract for Petroleum Storage Depot at Pali के लिए राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के नियम 51 (9) (ii) तथा 74 (i) के अनुसार निम्नानुसार खनिज को खोदने एवं हटाने हेतु अल्पावधि अनुमति पत्र के लिए दिनांक 24.04.2020 को ऑनलाईन आवेदन पत्र पेश किया गया, जिसकी हार्ड कॉपी दिनांक 24.04.2020 को कार्यालय में प्रस्तुत की गई।

संवेदक फर्म द्वारा नियमानुसार रॉयल्टी राशि, परमिट फीस कुल राशि रु 117100/- जरिये चालान संख्या जीआरएन 0039216292 दिनांक 24.04.2020 (चालान में अंकित राशि रु 378300/-) से जमा करा दी गई है व डी.एम.एफ.टी. राशि रु 10400/- जरिये चालान संख्या जीआरएन 0039216321 दिनांक 24.04.2020 (चालान में अंकित राशि रु 33600/-) तथा टीसीएस राशि रु 2080/- जरिये चालान संख्या 00703 दिनांक 24.04.2020 (चालान में अंकित राशि रु 6720/-) से जमा करा दिये गये हैं।

अतः एतद्वारा राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के नियम 51 (9) (ii) तथा 74 (i) के अनुसार निर्धारित शर्तों पर नीचे अंकित विवरण अनुसार खनिज उठाने की अनुमति जारी की जाती है। उक्त अनुमति की अवधि दिनांक 28.04.2020 से 27.10.2020 तक वैध होगी।

क्र. सं.	नाम खनिज	खनिज की मात्रा (टन में)	रॉयल्टी की दर	कुल रॉयल्टी राशि रु	परमिट फीस राशि रु	कुल राशि रु	खनिज उठाने का स्थान
1	2	3	4	5	6	8	9
1	साधारण मिट्टी	26000 टन	4/-	104000/-	13100/-	117100/-	क्षेत्रफल 0.9316 हैक्टर खसरा संख्या 273/21 राजस्व ग्राम सवाईपुरा तहसील रोहट जिला पाली में किये गये संयुक्त सीमांकन रिपोर्ट अनुसार

विशेष शर्तें:-

1. अनुमतिधारक किसी तीसरे पक्ष के विरुद्ध सरकार को क्षतिपूर्ति करेगा तथा ऐसे दावे को जैसे ही वह उत्पन्न हो, समाधान करेगा।
2. अनुमतिधारक सड़क/भवन, भू-ग्रादि या सार्वजनिक मैदानों/स्थान में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करेगा या उनको कोई नुकसान नहीं करेगा।
3. अनुमतिधारक को विभाग द्वारा ऐसी हिदायत दी जाने पर जहां से खनिज निकाला गया हो सुरक्षा के लिए गड़ढे को पाट देगा या उसके चारों ओर बाड़ लगा देगा।
4. ठेकेदार पत्थर, गिट्टी का उपयोग चिप्स बनाने हेतु नहीं करेगा।

5. अनुमतिधारक द्वारा बाद अवधि के एवं अधिक मात्रा में निकाले गये खनिज पर राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के नियम 51 (11) के तहत पेनल्टी एवं रॉयल्टी राशि की दस गुणा राशि देनी होगी तथा आवेदित क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य भूमि में खनन कार्य नहीं करेगा।
6. अनुमतिधारी खनिज दोहन किसी अन्य भूमि/चारागाह/केचमेंट एरिया/वन विभाग द्वारा आरक्षित भूमि/रक्षित अभयारण्य/राष्ट्रीय उद्यान तथा उनके सेफटी जोन/विभिन्न न्यायालयों द्वारा प्रतिबंधित क्षेत्र/किसी व्यक्ति या संस्था की निजी भूमि में उसकी लिखित सहमति के बिना तथा वैध पट्टाधारी/लाइसेंसी के स्वीकृत क्षेत्र/पंचायत हेतु आरक्षित भूमि/गोचर भूमि/पंचायत द्वारा पौधारोपण क्षेत्र आदि में नहीं करेगा।
7. अनुमतिधारक वन सीमा खनन स्थल के नजदीक हो तो वन सीमा से नियमानुसार निर्धारित दूरी छोड़कर ही खनन कार्य करेंगे तथा सार्वजनिक रास्ते, नदी, नाले व सार्वजनिक स्थल जैसे मंदिर इत्यादि एवं आबादी से नियमानुसार निर्धारित दूरी छोड़कर खनन कार्य करेंगे।
8. खनन कार्य करते समय हैवी ब्लास्टिंग नहीं करेंगे, यदि की जाती है, तो तकनीकी व्यक्ति (ब्लास्टर) की देखरेख में की जाये एवं सुरक्षा के नियमों की पूर्णतया पालना करेंगे।
9. अनुमतिधारक द्वारा राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के नियम 74 (1) के अनुसार 2 मीटर गहराई तक ही खनन कार्य किया जायेगा तथा राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 तथा इसमें समय-समय पर होने वाले संशोधनों की पूर्णतया पालना करनी होगी।

—sd—
खनि अभियन्ता,
सोजत सिटी
दिनांक 28.04.2020

क्रमांक:-समसंख्यक- 780

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है

1. श्रीमान् प्रबंधक, नायरा एनर्जी लिमिटेड पता - खामभालिया, पोस्ट बोकस नम्बर-24 जिला देवभूमि द्वारका (गुजरात)-361305
2. खनि कार्यदेशक-II कार्यालय हाजा।
3. मैसर्स एस. पी. कन्सल्टेशन निवासी - 8 बी, साउथ पार्ट, कृष्णा नगर, गोपालपुरा, जयपुर।

—sd—
खनि अभियन्ता,
सोजत सिटी

राजस्थान सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, सोजत सिटी जिला पाली

क्रमांक:-खअ/सोजत/एसटीपी/नियम-51(9)(2)/57/2021/

दिनांक

:-अल्पावधि अनुमति पत्र:-

मैसर्स एस.पी. कन्स्ट्रक्शन निवासी- 8बी, साउथ पार्ट, कृष्णा नगर, गोपालपुरा, जयपुर ने श्रीमान प्रबन्धक, नायरा एनर्जी लिमिटेड, पता- खामभालिया, पोस्ट बॉक्स नम्बर-24 जिला देवभूमि द्वारका (गुजरात) के कार्यादेश क्रमांक 6300002403 दिनांक 13.11.2019 के द्वारा Civil Construction contract for Petroleum Storage Depot at Pali. के लिए राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के नियम 51 (9) (ii) तथा नियम 74(i) के अनुसार निम्नानुसार रॉयल्टी पेड खनिज क्रय करने हेतु अल्पावधि अनुमति पत्र के लिए दिनांक 13.02.2021 को ऑनलाईन आवेदन पत्र पेश किया गया, जिसकी हार्ड कॉपी दिनांक 15.02.2021 कार्यालय में प्रस्तुत की गई।

संवेदक फर्म द्वारा नियमानुसार रॉयल्टी राशि रूपये 5,00,000/- जरिये ई-चालान संख्या 47499796 दिनांक 15.02.2021 परमिट फीस राशि रूपये 10,000/- जरिये ई-चालान संख्या 47500417 दिनांक 15.02.2021 से जमा करा दी गई है व डी.एम.एफ.टी. राशि रूपये 50,000/- जरिये ई-चालान 47505097 दिनांक 15.01.2021 व आर.एस.एम.ई.टी. राशि रूपये 10,000/- जरिये डी.डी. संख्या 44193797 दिनांक 10.02.2021 तथा एवं टी.सी.एस. राशि रूपये 10,000/- जरिये चालान संख्या 01447 दिनांक 15.02.2021 से जमा करा दिये गये हैं।


अतः एतद्वारा राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के नियम नियम 51 (9) (ii) तथा नियम 74(i) के अनुसार निर्धारित शर्तों पर नीचे अंकित विवरण अनुसार खनिज उठाने की अनुमति जारी की जाती है। उक्त अनुमति की अवधि दिनांक 16.02.2021 से 28.02.2021 तक वैध होगी।

क्र. सं.	नाम खनिज	खनिज की मात्रा (टन में)	रॉयल्टी की दर	कुल रॉयल्टी राशि रु	परमिट फीस राशि रु	कुल राशि रु	खनिज उठाने का स्थान
1	2	3	4	5	6	8	9
1	मुर्रम	20,000 टन	25/-	5,00,000/-	10,000/-	5,10,000/-	खसरा संख्या 273/21 राजस्व ग्राम-सवाईपुरा तह. रोहट जिला पाली में किए गये मौका रिपोर्ट दिनांक 19.01.2021 अनुसार खनिज पीट क्षेत्र में खनिज मुर्रम जो विभिन्न ढेरियों के रूप में स्टेक किया हुआ है। मे से

विशेष शर्त:-

1. अनुमतिधारक किसी तीसरे पक्ष के विरुद्ध सरकार को क्षतिपूर्ति करेगा तथा ऐसे दावे को जैसे ही वह उत्पन्न हो, समाधान करेगा।
2. अनुमतिधारक सड़क/भवन, भू-ग्रादि या सार्वजनिक मैदानों/स्थान में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करेगा या उनको कोई नुकसान नहीं करेगा।
3. अनुमतिधारक को विभाग द्वारा ऐसी हिदायत दी जाने पर जहां से खनिज निकाला गया हो सुरक्षा के लिए गड्ढे को पाट देगा या उसके चारों ओर बाड़ लगा देगा।
4. ठेकेदार पत्थर, गिट्टी का उपयोग चिप्स बनाने हेतु नहीं करेगा।

5. अनुमतिधारक द्वारा बाद अवधि के एवं अधिक मात्रा में निकाले गये खनिज पर राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के नियम 51 (11) के तहत पेनल्टी एवं रॉयल्टी राशि की दस गुणा राशि देनी होगी तथा आवेदित क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य भूमि में खनन कार्य नहीं करेगा।
6. अनुमतिधारी खनिज दोहन किसी अन्य भूमि/चारागाह/केचमेंट एरिया/वन विभाग द्वारा आरक्षित भूमि/रक्षित अभयारण्य/राष्ट्रीय उद्यान तथा उनके सेफटी जोन/विभिन्न न्यायालयों द्वारा प्रतिबंधित क्षेत्र/किसी व्यक्ति या संस्था की निजी भूमि में उसकी लिखित सहमति के बिना तथा वैध पट्टाधारी/लाइसेंसी के स्वीकृत क्षेत्र/पंचायत हेतु आरक्षित भूमि/गोचर भूमि/पंचायत द्वारा पौधारोपण क्षेत्र आदि में नहीं करेगा।
7. अनुमतिधारक वन सीमा खनन स्थल के नजदीक हो तो वन सीमा से नियमानुसार निर्धारित दूरी छोड़कर ही खनन कार्य करेंगे तथा सार्वजनिक रास्ते, नदी, नाले व सार्वजनिक स्थल जैसे मंदिर इत्यादि एवं आबादी से नियमानुसार निर्धारित दूरी छोड़कर खनन कार्य करेंगे।
8. खनन कार्य करते समय हैवी ब्लास्टिंग नहीं करेंगे, यदि की जाती है, तो तकनीकी व्यक्ति (ब्लास्टर) की देखरेख में की जाये एवं सुरक्षा के नियमों की पूर्णतया पालना करेगे।
9. अनुमतिधारक द्वारा राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के नियम 74(1) के अनुसार 2 मीटर गहराई तक ही खनन कार्य किया जायेगा तथा राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 तथा इसमें समय-समय पर होने वाले संशोधनों की पूर्णतया पालना करनी होगी।



खनि अभियन्ता,

सोजत सिटी

दिनांक 16/02/2021

क्रमांक:-समसंख्यक- 416

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है

1. श्रीमान् प्रबन्धक, नायरा एनर्जी लिमिटेड, पता- खामभालिया, पोस्ट बॉक्स नम्बर-24 जिला देवभूमि द्वारका (गुजरात) 361305 को भेजकर निवेदन है कि उक्त निर्माण कार्य में अंतिम बिल का भुगतान इस कार्यालय द्वारा अद्वैयता/अनापति प्रमाण पत्र जारी करने के उपरान्त ही किया जावे।
2. खनि कार्यदेशक-II कार्यालय हाजा, तह. रोहट।
3. मैसर्स एस.पी. कन्स्ट्रक्शन निवासी- 8बी, साउथ पार्ट, कृष्णा नगर, गोपालपुरा, जयपुर।



खनि अभियन्ता,

सोजत सिटी

Ref. No. - 20201000020918

Agreement No.

राजस्थान सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, सोजतसिटी जिला पाली
 क्रमांक-खअ/सोजत/एसटीपी/नियम-51(9)(III)/सी-99/2020/न-92 दिनांक 13/03/2021

मैसर्स एन.एम.सी. इण्डस्ट्रिय प्रालि.

निवासी- प्लॉट नं. 181, फोर्थ लेन दारूखाना,
 स-रोड, मुम्बई (महाराष्ट्र)।

विषय- Construction contract for Railway Siding Works at Pali Depot, Pali (Rajasthan)

प्रसंग- श्रीमान प्रबन्धक, नायरा एनर्जी लिमिटेड, पता- खामभालिया, पोस्ट बोकस नम्बर-24 जिला देवभूमि द्वारका (गुजरात) के कार्यादेश क्रमांक 6300002481 दिनांक 13.02.2020 के क्रम में।

महोदय

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आप द्वारा राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के नियम 51 (9) (III) के तहत शपथ पत्र बर्क ऑर्डर जी-शिड्यूल की प्रति सहित दिनांक 19.06.2020 को ऑनलाइन आवेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया। उक्त विषयकित निर्माण कार्य की अवधि दिनांक 01.05.2020 से 31.03.2021 तक है।

राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के नियम 51 (9) (III) के तहत अन्तिम बिल की स्टेज पर अधिशुल्क निर्धारण कर अदेयता प्रमाण पत्र जारी करने के उपरान्त ही संवेदक को अन्तिम बिल का भुगतान किये जाने का प्रावधान है। आप द्वारा उक्त निर्माण कार्य में समस्त खनिज रॉयल्टी भेड ही उपयोग में लिया जायेगा तथा इस नियम के तहत अन्तिम बिल तक उपयोग में लिये गये वारस्तविक खनिज का ब्याज (समर्पित विभाग द्वारा प्रमाणित) खनिज प्राप्त किये जाने का स्रोत, खान विभाग द्वारा जारी ई-खाना/ई-टीपी की रॉयल्टी पदी, जिसमें निर्माण विभाग के ठेकेदार का नाम अंकित है, अधिशुल्क निर्धारण हेतु प्रस्तुत करेंगे अन्यथा रिकॉर्ड के अभाव में नियमानुसार अधिशुल्क निर्धारण कर दिया जायेगा।

खनि अभियन्ता,
 सोजत सिटी,
 जिला

क्रमांक- समसंख्यक-
 प्रतिलिपि श्रीमान प्रबन्धक, नायरा एनर्जी लिमिटेड, पता- खामभालिया, पोस्ट बोकस नम्बर-24 जिला देवभूमि द्वारका (गुजरात) के कार्यादेश क्रमांक 6300002481 दिनांक 13.02.2020 के क्रम में भेजकर निवेदन है कि राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के नियम 51 (9) (III) के तहत उक्त विषयकित कार्य में संवेदक को अन्तिम बिल का भुगतान इस कार्यालय के अदेयता प्रमाण पत्र के बिना नहीं किया जाये, अन्यथा समस्त जिम्मेदारी आपके विभाग की होगी।

राजस्थान सरकार

कार्यालय खाति अभियन्ता, खान एव भू-विज्ञान विभाग, सोजत सिटी जिला पाली

क्रमांक-खअ/सोजत/एसटीपी/नियम-51(9)(2)/93/2020/

दिनांक

-अल्पावधि अनुमति पत्र:-

मेसर्स एन.एम.सी. इण्डस्ट्रिज प्रा. लि. निवासी- प्लॉट नं. 161, फार्थ लेन दाऊखाना रो-रोड, मुम्बई (महाराष्ट्र) ने श्रीमान प्रबन्धक, नारया एनर्जी लिमिटेड, पता- खामभालिया, पोस्ट बोकस नम्बर-24 जिला देवभूमि द्वारा (गुजरात) के कार्यदेश क्रमांक 6300002481 दिनांक 13.02.2020 के द्वारा Construction contract for Railway Siding Works at Pall Depot, Pall (Rajasthan) के लिए राजस्थान अधिाण खनिज रियायत नियमावली, 2017 के नियम 51 (9) (ii) तथा नियम 74(ii) के अनुसार निम्नानुसार रॉयल्टी पेड खनिज क्रय करने हेतु अल्पावधि अनुमति पत्र के लिए दिनांक 19.06.2020 को ऑनलाईन आवेदन पत्र पेश किया गया, जिसकी हाई कॉपी दिनांक 22.06.2020 को कार्यालय में प्रस्तुत की गई।

सर्वेदक फर्म द्वारा नियमानुसार रॉयल्टी राशि व परमिट फीस कुल राशि रूपये 1,21,700/- जरिये ई-चालान संख्या 40045302 दिनांक 18.06.2020 (चालान में अंकित राशि रु 3,97,800/-) से जमा करा दी गई है। य डी.एम.एफ.टी राशि रूपये 10,800/- जरिये ई-चालान 40045993 दिनांक 18.06.2020 (चालान में अंकित राशि रु 35280/-) व आर.एस.एम.ई.टी. राशि रूपये 2,160/- जरिये डी.डी संख्या 069252 दिनांक 15.10.2020 (चालान में अंकित राशि रु 7056/-) तथा एंव. टी.सी.एस. राशि रूपये 2,160/- जरिये चालान संख्या 21112 दिनांक 17.03.2021 (चालान में अंकित राशि रु 7056/-) से जमा करा दिये गये है।

अतः एतद्वारा राजस्थान अधिाण खनिज रियायत नियमावली, 2017 के नियम नियम 51 (9) (ii) तथा नियम 74(ii) के अनुसार निर्धारित शर्तों पर नीचे अंकित विवरण अनुसार खनिज उठाने की अनुमति जारी की जाती है। इस अल्पावधि अनुमति पत्र के सम्यक् में अंकेक्षण अथवा प्राधिकृत संस्था द्वारा आपत्ति अथवा आक्षेप गठित किया जाता है, तो उसके सम्बन्ध में सर्वेदक उत्तरदायी होगा। उक्त अनुमति की अवधि दिनांक 17.03.2021 से 31.03.2021 तक वैध होगी।

क्र. सं.	नाम खनिज	खनिज की मात्रा (टन में)	रॉयल्टी की दर	कुल रॉयल्टी राशि रु	परमिट फीस राशि रु	कुल राशि रु	खनिज उठाने का स्थान
1	2	3	4	5	6	8	9
1	साधारण मिट्टी	27,000 टन	4/-	1,08,000/-	13,700/-	1,21,700/-	खसरा संख्या 291 राजस्थान ग्राम-सवाईपुरा तह. रोहट जिला पाली में किए गये संयुक्त सीमांकन अनुसार

विशेष शर्त:-

1. अनुमतिधारक किसी तीसरे पक्ष के विरुद्ध सरकार को क्षतिपूर्ति करेगा तथा ऐसे दावे को जैसे ही यह उत्पन्न हो समाधान करेगा।
2. अनुमतिधारक सड़क/भवन भ-आदि या सार्वजनिक मैदानों/स्थान में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करेगा या उनको कोई नुकसान नहीं करेगा।
3. अनुमतिधारक को विधायक द्वारा जारी दिनांक 17.03.2021 तक वैध होगी।

5. अनुमतिधारक द्वारा बाध अवधि के एवं अधिक मात्रा में निकाले गये खनिज पर राजस्थान अप्रधान खनिज-रियायत नियमावली, 2017 के नियम 51 (11) के सहल पेनल्टी एवं रोकट्टी राशि की दर गुणा राशि देनी होगी तथा आवेदित क्षेत्र को अतिरिक्त अन्य भूमि में खनन कार्य नहीं करेगा।
6. अनुमतिधारी खनिज दोहन किसी अन्य भूमि/चारागाह/केचमेंट एरिया/वन विभाग द्वारा आवेदित भूमि/रक्षित अभयारण्य/राष्ट्रीय उद्यान तथा उनके सेफटी जोन/विभिन्न न्यायालयों द्वारा परिबंधित क्षेत्र/किसी व्यक्ति या संस्था की निजी भूमि में खनन की कृतिता सहमति के बिना तथा वैद्य पददाहारी/लाइसेंसी के स्वीकृत क्षेत्र/पंचायत हेतु आवेदित भूमि/गोचर भूमि/पंचायत द्वारा पीधारोपण क्षेत्र आदि में नहीं करेगा।
7. अनुमतिधारक वन सीमा खनन स्थल के नजदीक हो तो वन सीमा से नियमानुसार निर्धारित दूरी छोड़कर ही खनन कार्य करेंगे तथा सार्वजनिक रास्ते, नदी, नाले व सार्वजनिक स्थल जैसे मंदिर इत्यादि एवं आवादी से नियमानुसार निर्धारित दूरी छोड़कर खनन कार्य करेंगे।
8. खनन कार्य करते समय हेवी ब्लास्टिंग नहीं करेंगे, यदि कही जाती है, तो तकनीकी व्यक्ति (क्लास्टर) की देखरेख में की जाये एवं सुरक्षा के नियमों की पूर्णतया पालना करेंगे।
9. अनुमतिधारक द्वारा राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के नियम 74(1) के अनुसार 2 मीटर गहराई तक ही खनन कार्य किया जायेगा तथा राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 तथा इसमें समय-समय पर होने वाले संशोधनों की पूर्णतया पालना करनी होगी।

Sol
खनि अभियन्ता

सोजत सिटी

दिनांक 19/03/2021

क्रमांक-समसख्यक- 791

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. श्रीमान अधीक्षण खनि अभियन्ता (मुगा), निदेशालय, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, उदयपुर को पत्रांक निदे/प2/कास/नियम (NIIA)/2019/1222 दिनांक 12.11.2020 के क्रम में।
2. श्रीमान अधीक्षण खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, जोधपुर को पत्रांक 4701 दिनांक 16.09.2021 एवं 9267 दिनांक 15.01.2021 के क्रम में।
3. श्रीमान प्रबन्धक नायरा एनर्जी लिमिटेड पता- खामभालिया, पोस्ट बोक्स नम्बर-24 जिला देवभूमि द्वारका (गुजरात) 361305 को भेजकर निवेदन है कि उक्त निर्माण कार्य में अंतिम बिल का भुगतान इस कार्यालय द्वारा अदेयता/अनापति प्रमाण पत्र जारी करने के उपरान्त ही किया जावे।
4. खनि कार्यदेशक-II कार्यालय हाजा, तह, रोहट।
5. मैसर्स एन.एम.सी. इण्डस्ट्रिज प्रा.लि. निवासी- प्लॉट नं. 161, फोर्थ लेन दारुखाना, ३-रोड, मुम्बई (महाराष्ट्र)।

Sol
खनि अभियन्ता

सोजत सिटी

राजस्थान सरकार

कार्यालय रानि अभियन्ता, रवान एवं भू-विज्ञान विभाग, सोजल मिटी जिला पाली
क्रमांक-खस/सोजल/एसटीपी/नियम-51(9)(2)/24/2020/ दिनांक

:-अल्पावधि अनुमति पत्र:-

मेसर्स एन.एम.सी. इण्डस्ट्रियज प्रा.लि. निवासी- प्लॉट नं. 161, फोर्थ लेन दाऊखाना, २-रोड, मुम्बई (महाराष्ट्र) ने भीमान पब्लिक, नासरा एनर्जी लिमिटेड, पता- खामगालिया, पोस्ट बोकस नम्बर-24 जिला देवभूमि द्वारका (गुजरात) के कार्यादेश क्रमांक 6300002481 दिनांक 13.02.2020 के द्वारा Construction contract for Railway Sliding Works at Pali Depot, Pali (Rajasthan) के लिए राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के नियम 51 (9) (ii) तथा नियम 74(i) के अनुसार निम्नानुसार रॉयल्टी पट खनिज क्रय करने हेतु अल्पावधि अनुमति पत्र के लिए दिनांक 19.06.2020 को ऑनलाइन आवेदन पत्र पेश किया गया, जिसकी हार्ड कॉपी दिनांक 22.06.2020 को कार्यालय में प्रस्तुत की गई।

सर्वेदक फर्म द्वारा नियमानुसार रॉयल्टी राशि व परमिट फीस कुल राशि रुपये 1,21,700/- जरिये ई-चालान संख्या 40045302 दिनांक 18.06.2020 (चालान में अंकित राशि रु 3,97,800/-) से जमा करा दी गई है व डी.एम.एफ.टी. राशि रुपये 10,800/- जरिये ई-चालान 40045993 दिनांक 18.06.2020 (चालान में अंकित राशि रु 35280/-) व आर.एस.एम.ई.टी. राशि रुपये 2,160/- जरिये डी.डी संख्या 069252 दिनांक 15.10.2020 (चालान में अंकित राशि रु 7056/-) तथा एच.टी.सी.एस. राशि रुपये 2,160/- जरिये चालान संख्या 21112 दिनांक 17.03.2021 (चालान में अंकित राशि रु 7056/-) से जमा करा दिये गये है।

अतः एतद्वारा राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के नियम नियम 51 (9) (ii) तथा नियम 74(i) के अनुसार निर्धारित शर्तों पर नीचे अंकित विवरण अनुसार खनिज उठाने की अनुमति जारी की जाती है। इस अल्पावधि अनुमति पत्र के सम्बन्ध में अंकेक्षण अथवा प्राधिकृत संस्था द्वारा आपत्ति अथवा आक्षेप गठित किया जाता है, तो उसके सम्बन्ध में सर्वेदक उत्तरदायी होगा। उक्त अनुमति की अवधि दिनांक 17.03.2021 से 31.03.2021 तक वैध होगी।

क्र. सं.	नाम खनिज	खनिज की मात्रा (टन में)	रॉयल्टी की दर	कुल रॉयल्टी राशि रु	परमिट फीस राशि रु	कुल राशि रु	खनिज उठाने का स्थान
1	2	3	4	5	6	8	9
1	साधारण मिट्टी	27,000 टन	4/-	1,08,000/-	13,700/-	1,21,700/-	खसरा संख्या 291 राजस्थान ग्राम-सवाईपुरा तह. रोहट जिला पाली में किए गये संयुक्त सीमांकन अनुसार

विशेष शर्त:-

1. अनुमतिधारक किसी तीसरे पक्ष के विरुद्ध सरकार को क्षतिपूर्ति करेगा तथा ऐसे दावे को जैसे ही यह उत्पन्न हो, समाधान करेगा।
2. अनुमतिधारक सड़क/भवन, भू-ग्राह्य या सार्वजनिक मैदानों/स्थान में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करेगा या उनको कोई नुकसान नहीं करेगा।
3. अनुमतिधारक को विभाग द्वारा ऐसी हिदायत दी जाने पर जहां से खनिज निकाला गया हो सुस्ता के लिए गड्डे को पाट देगा या उसके चारों ओर गड्डे लगा देगा।

5. अनुमतिधारक द्वारा बाढ़ अथवा के एव अधिक मात्रा में निकाले गये खनिज पर राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के नियम 51 (11) के तहत सेनल्टी एवं रीपल्टी सगि की दस गुणा राशि देनी होगी तथा आग्नि क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य भूमि में खनन कार्य नहीं करेगा।
6. अनुमतिधारी खनिज दोहन किसी अन्य भूमि/घासगाह/केचमेट एरिया/वन विभाग द्वारा आरक्षित भूमि/रक्षित अभयारण्य/राष्ट्रीय उद्यान तथा उनके सेफटी जोन/विभिन्न न्यायालयों द्वारा प्रतिबंधित क्षेत्र/किसी व्यक्ति या संस्था की निजी भूमि में उसकी लिखित सहमति के बिना तथा वेध पट्टाधारी/साइरेंसी के स्वीकृत क्षेत्र/पंचायत हेतु आरक्षित भूमि/गोचर भूमि/पंचायत द्वारा पोषासपण क्षेत्र आदि में नहीं करेगा।
7. अनुमतिधारक वन सीमा खनन स्थल के नजदीक हो तो वन सीमा से नियमानुसार निर्धारित दूरी छोड़कर ही खनन कार्य करेगा तथा सार्वजनिक रास्ते, नदी, नाले व सार्वजनिक स्थल जैसे मंदिर इत्यादि एवं आवादी से नियमानुसार निर्धारित दूरी छोड़कर खनन कार्य करेंगे।
8. खनन कार्य करते समय हेवी क्लैस्टिंग नहीं करेंगे, यदि की जाती है, तो तकनीकी व्यक्ति (क्लास्टर) की देखरेख में की जाये एवं सुरक्षा के नियमों की पूर्णतया पालना करेंगे।
9. अनुमतिधारक द्वारा राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के नियम 74(1) के अनुसार 2 मीटर गहराई तक ही खनन कार्य किया जायेगा तथा राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 तथा इसमें समय-समय पर होने वाले संशोधनों की पूर्णतया पालना करनी होगी।

खनि अभियन्ता,
सोजत सिटी
दिनांक

क्रमांक-सामसंख्यक- 759

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. श्रीमान अधीक्षण खनि अभियन्ता (मु.ग.) निदेशालय, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, उदयपुर को पत्रांक निदे/प.2/कास/नियम (NIAI)/2019/1222 दिनांक 12.11.2020 के क्रम में।
2. श्रीमान अधीक्षण खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, जोधपुर को पत्रांक 4701 दिनांक 16.09.2021 एवं 9267 दिनांक 15.01.2021 के क्रम में।
3. श्रीमान प्रबन्धक, नायरा एनर्जी लिमिटेड, पता- खानमालिया, पोस्ट बोकस नम्बर-24 जिला देवभूमि द्वारका (गुजरात) 361305 को भेजकर निवेदन है कि उक्त निर्माण कार्य में अंतिम बिल का भुगतान इस कार्यालय द्वारा अदेयता/अनापति प्रमाण पत्र जारी करने के उपरान्त ही किया जाये।
4. खनि कार्यदेशक-II कार्यालय हाजा, तह. रोहट।
5. मेसर्स एन.एम.सी. इण्डस्ट्रिज प्रा. लि. निवासी- प्लॉट नं. 161, फोर्थ लेन दारुखाना, रे-रोड, मुम्बई (महाराष्ट्र)।

खनि अभियन्ता,
सोजत सिटी

कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, सोजत सिटी जिला पाली
क्रमांक-खज/सोजत/एसटीपी/नियम-51(9)(2)/95/2020/
दिनांक

:-अल्पावधि अनुमति पत्र:-

मेसर्स एन.एम.सी. इण्डस्ट्रिज प्रा.लि निवासी- प्लॉट नं. 161, फोर्थ लेन दाऊरखाना, 2-राउ, मुम्बई (महाराष्ट्र) ने श्रीमान प्रबन्धक, नायरा एनर्जी लिमिटेड, पता- खम्मामजिया, पोस्ट गोकुल नम्बर-24 जिला देवभूमि द्वारका (गुजरात) के कार्यादेश क्रमांक 6300002481 दिनांक 13.02.2020 के द्वारा Construction contract for Railway Siding Works at Pali Depot, Pali (Rajasthan) के लिए राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के नियम 51 (9) (ii) तथा नियम 74(ii) के अनुसार निम्नानुसार रॉयल्टी फंड खनिज ग्रब करने हेतु अल्पावधि अनुमति पत्र के लिए दिनांक 19.06.2020 को ऑनलाईन आवेदन पत्र पेश किया गया, जिसकी हार्ड कॉपी दिनांक 22.06.2020 को कार्यालय में प्रस्तुत की गई।

सर्वेदक फर्म द्वारा नियमानुसार रॉयल्टी राशि व परमिट फीस कुल राशि रुपये 1,21,700/- जरिये ई-चालान संख्या 40045302 दिनांक 18.06.2020 (चालान में अंकित राशि रु 3,97,800/-) से जमा करा दी गई है व डी.एम.एफ.टी. राशि रुपये 10,800/- जरिये ई-चालान 40045993 दिनांक 18.06.2020 (चालान में अंकित राशि रु 35280/-) व आर.एस.एम.ई.टी. राशि रुपये 2,160/- जरिये डी.डी. संख्या 069252 दिनांक 15.10.2020 (चालान में अंकित राशि रु 7056/-) तथा एवं टी.सी.एस. राशि रुपये 2,160/- जरिये चालान संख्या 21112 दिनांक 17.03.2021 (चालान में अंकित राशि रु 7056/-) से जमा करा दिये गये है।

अतः एतद्वारा राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के नियम नियम 51 (9) (ii) तथा नियम 74(ii) के अनुसार निर्धारित शर्तों पर नीचे अंकित विवरण अनुसार खनिज उठाने की अनुमति जारी की जाती है। इस अल्पावधि अनुमति पत्र के सम्बन्ध में अंकेक्षण अथवा प्राधिकृत संस्था द्वारा आपत्ति अथवा आक्षेप गठित किया जाता है, तो उसके सम्बन्ध में सर्वेदक उत्तरदायी होगा। उक्त अनुमति की अवधि दिनांक 17.03.2021 से 31.03.2021 तक वैध होगी।

क्र. सं.	नाम खनिज	खनिज की मात्रा (टन में)	रॉयल्टी की दर	कुल रॉयल्टी राशि रु	परमिट फीस राशि रु	कुल राशि रु	खनिज उठाने का स्थान
1	साधारण गिट्टी	27,000 टन	4/-	1,08,000/-	13,700/-	1,21,700/-	खसरा संख्या 291 राजस्व ग्राम-सवाईपुरा तह. रोहट जिला पाली में किए गये संयुक्त सीमांकन अनुसार

विशेष शर्तें:-

1. अनुमतिधारक किसी तीसरे पक्ष के विरुद्ध सरकार को क्षतिपूर्ति करेगा तथा ऐसे दावे को जैसे ही वह उत्पन्न हो, समाधान करेगा।
2. अनुमतिधारक सड़क/भवन, भू-ग्रादि या सार्वजनिक मैदानों/स्थान में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करेगा या उनको कोई नुकसान नहीं करेगा।
3. अनुमतिधारक को विभाग द्वारा ऐसी हिदायत दी जाने पर जहां से खनिज निकाला गया हो सुरक्षा के लिए गड्ढे को षट देगा या उसके चारों ओर बाड़ लगा देगा।
4. ठेकदार पत्थर, गिट्टी का उपयोग चिप्स बनाने हेतु नहीं करेगा।

5. अनुमतिधारक द्वारा चाद अवधि को एवं अधिक मात्रा में निकाले गये खनिज पर राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के नियम 51 (11) के तहत पेनल्टी एवं रॉयल्टी राशि की दस गुणा राशि देनी होगी तथा आवेदित क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य भूमि में खनन कार्य नहीं करेगा।
6. अनुमतिधारी खनिज दोहन किसी अन्य भूमि/घारागाह/कंचमेंट एरिया/वन विभाग द्वारा आरक्षित भूमि/रक्षित आभारण्य/राष्ट्रीय उद्यान तथा उनके सेफ्टी जोन/विभिन्न न्यायालयों द्वारा प्रतिबंधित क्षेत्र/किसी धारित या संस्था की निजी भूमि में उसकी लिखित सहमति के बिना तथा वन पट्टाधारी/लाइसेन्सी के स्वीकृत क्षेत्र/पंचायत हेतु आरक्षित भूमि/गोचर भूमि/पंचायत द्वारा पोषारोमण क्षेत्र आदि में नहीं करेगा।
7. अनुमतिधारक वन सीमा खनन स्थल के नजदीक हो तो वन सीमा से नियमानुसार निर्धारित दूरी छोड़कर ही खनन कार्य करेगा तथा सार्वजनिक रास्ते, नदी, नाले व सार्वजनिक स्थल जैसे मंदिर इत्यादि एवं आवादी से नियमानुसार निर्धारित दूरी छोड़कर खनन कार्य करेगा।
8. खनन कार्य करते समय हेवी ब्लास्टिंग नहीं करेगा यदि की जाती है, तो तकनीकी व्यक्ति (ब्लास्टर) की देखरेख में की जाये एवं सुरक्षा के नियमों की पूर्णतया पालना करेगा।
9. अनुमतिधारक द्वारा राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के नियम 74(1) के अनुसार 2 मीटर गहराई तक ही खनन कार्य किया जायेगा तथा राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 तथा इतने समय-समय पर होने वाले सशोधनों की पूर्णतया पालना करनी होगी।

खनि अभियन्ता
सोजत सिटी
दिनांक 13/03/2021

क्रमांक-समसंख्याक-

765

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. श्रीमान अधीक्षण खनि अभियन्ता (मुआ), निदेशालय, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, उदयपुर को पत्रांक निदे/प.2/कास/नियम (NIIAI)/2019/1222 दिनांक 12.11.2020 के क्रम में।
2. श्रीमान अधीक्षण खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, जोधपुर को पत्रांक 4701 दिनांक 16.09.2021 एवं 9267 दिनांक 15.01.2021 के क्रम में।
3. श्रीमान प्रबन्धक, नायरा एनर्जी लिमिटेड, पता- खामभालिया, पोस्ट बोकस नम्बर-24 जिला देवभूमि द्वारका (गुजरात) 361305 को भेजकर निवेदन है कि उक्त निर्माण कार्य में अंतिम बिल का मुगतान इस कार्यालय द्वारा अदेयता/अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के उपरान्त ही किया जाये।
4. खनि कार्यदेशक-1 कार्यालय हाजा, तह. रोहट।
5. मेसर्स एन.एम.सी. इण्डस्ट्रिज प्रा.लि. निवासी- प्लॉट नं. 161 फोर्थ लेन दारुखाना, से-रोड, मुम्बई (महाराष्ट्र)।

खनि अभियन्ता
सोजत सिटी

राजस्थान सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं मू-विज्ञान विभाग, सोजल सिटी जिला पाली
क्रमांक-खअ/सोजल/एसटीपी/नियम-51(9)(2)/96/2020/ दिनांक

:-अल्पावधि अनुमति पत्र:-

मैसर्स एन.एम.सी. इण्डस्ट्रिज प्रा.लि. निवासी- प्लॉट नं 161, फोर्थ लेन दारुखाना, २-रोड, मुम्बई (महाराष्ट्र) ने श्रीमान प्रबन्धक, नायरा एनर्जी लिमिटेड, पता- खामभालिया, पोस्ट बोक्स नम्बर-24 जिला देवभूमि द्वारका (सुजरात) के कार्यादेश क्रमांक 6300002481 दिनांक 13.02.2020 के द्वारा Construction contract for Railway Siding Works at Pali Depot, Pali (Rajasthan) के लिए राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के नियम 51 (9) (ii) तथा नियम 74(ii) के अनुसार निम्नानुसार रॉयल्टी पेइ खनिज क्रय करने हेतु अल्पावधि अनुमति पत्र के लिए दिनांक 19.06.2020 को ऑनलाईन आवेदन पत्र पेश किया गया, जिसकी हार्ड कॉपी दिनांक 22.06.2020 को कार्यालय में प्रस्तुत की गई।

सर्वेदक फर्म द्वारा नियमानुसार रॉयल्टी राशि व परमिट फीस कुल राशि रूपये 32,600/- जरिये ई-चालान संख्या 40045302 दिनांक 18.06.2020 (चालान में अंकित राशि रु 3,97,800/-) से जमा करा दी गई है व डी.एम.एफ.टी. राशि रूपये 2,880/- जरिये ई-चालान 40045993 दिनांक 18.06.2020 (चालान में अंकित राशि रु 35280/-) व आर.एस.एम.ई.टी. राशि रूपये 576/- जरिये डी.डी. संख्या 069252 दिनांक 15.10.2020 (चालान में अंकित राशि रु 7056/-) तथा एवं टी.सी.एस. राशि रूपये 576/- जरिये चालान संख्या 21112 दिनांक 17.03.2021 (चालान में अंकित राशि रु 7056/-) से जमा करा दिये गये है।

अतः एतद्वारा राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के नियम नियम 51 (9) (ii) तथा नियम 74(ii) के अनुसार निर्धारित शर्तों पर नीचे अंकित विवरण अनुसार खनिज उठाने की अनुमति जारी की जाती है। इस अल्पावधि अनुमति पत्र के सम्बन्ध में अर्कक्षण अथवा प्राधिकृत संस्था द्वारा आपत्ति अथवा आक्षेप गठित किया जाता है, तो उसके सम्बन्ध में सर्वेदक उत्तरदायी होगा। उक्त अनुमति की अवधि दिनांक 17.03.2021 से 31.03.2021 तक वैध होगी।

क्र. सं.	नाम खनिज	खनिज की मात्रा (टन में)	रॉयल्टी की दर	कुल रॉयल्टी राशि रु	परमिट फीस राशि रु	कुल राशि रु	खनिज उठाने का स्थान
1	2	3	4	5	6	8	9
1	साधारण मिट्टी	7,200 टन	4/-	28,800/-	3,800/-	32,600/-	खसरा संख्या 291 राजस्व ग्राम-सवाईपुरा तह. रोडट जिला पाली में किए गये संयुक्त सीमांकन अनुसार

शर्तें:-

1. अनुमतिधारक किसी तीसरे पक्ष के विरुद्ध सरकार को क्षतिपूर्ति करेगा तथा ऐसे दावे को जैसे ही वह उत्पन्न हो, समाधान करेगा।
2. अनुमतिधारक सड़क/मार्ग, म-यादि या सार्वजनिक मैदानों/स्थान में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करेगा या उनको कोई नुकसान नहीं करेगा।
3. अनुमतिधारक को विभाग द्वारा ऐसी हिदायत दी जाने पर जहां से खनिज निकाला गया हो सुरक्षा के लिए गड्ढे को पाट देगा या उसके चारों ओर बाड़ लगा देगा।
4. सर्वेदक पत्थर मिट्टी का उपयोग...

5. अनुमतिधारक द्वारा बाढ़ अथवा अन्य कारणों से अधिक मात्रा में निकाले गये खनिज पर राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के नियम 51 (11) के तहत पेन्सिल्टी एवं रॉयल्टी राशि की दर गुणा राशि देनी होगी तथा आवेदित क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य भूमि में खनन कार्य नहीं करेगा।
6. अनुमतिधारी खनिज दोहन किसी अन्य भूमि/चारागाह/कंचमेट एरिया/वन विभाग द्वारा आरक्षित भूमि/रक्षित अभयारण्य/राष्ट्रीय उद्यान तथा उनके सेफटी जोन/विभिन्न न्यायालयों द्वारा प्रतिबंधित क्षेत्र/किसी व्यक्ति या संस्था की निजी भूमि में उसकी लिखित सहमति के बिना तथा वेध पट्टाधारी/लाइसेंस की स्वीकृत क्षेत्र/पंचायत हेतु आरक्षित भूमि/गोचर भूमि/पंचायत द्वारा घोषारोपण क्षेत्र आदि में नहीं करेगा।
7. अनुमतिधारक वन सीमा खनन स्थल के नजदीक हो तो वन सीमा से नियमानुसार निर्धारित दूरी छोड़कर ही खनन कार्य करेंगे तथा सार्वजनिक रास्ते, नदी, नाले व सार्वजनिक स्थल जैसे मंदिर इत्यादि एवं आबादी से नियमानुसार निर्धारित दूरी छोड़कर खनन कार्य करेंगे।
8. खनन कार्य करते समय हेवी क्लॉस्टिंग नहीं करेंगे, यदि की जाती है, तो तकनीकी व्यक्ति (क्लॉस्टर) को देखरेख में ली जाये एवं सुरक्षा के नियमों की पूर्णतया पालना करेंगे।
9. अनुमतिधारक द्वारा राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के नियम 74(1) के अनुसार 2 मीटर गहराई तक ही खनन कार्य किया जायेगा तथा राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 तथा इसमें समय-समय पर होने वाले संशोधनों की पूर्णतया पालना करनी होगी।

खनि अभियन्ता
सोजत सिटी
दिनांक 19/03/2021

क्रमांक-समसंख्यक- 771

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. श्रीमान, अधीक्षण खनि अभियन्ता (मुगा), निदेशालय, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, उदयपुर को पत्रांक निदे/प2/कास/नियम (NIAI)/2019/1222 दिनांक 12.11.2020 के क्रम में।
2. श्रीमान अधीक्षण खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, जोधपुर को पत्रांक 4701 दिनांक 16.09.2021 एवं 9267 दिनांक 15.01.2021 के क्रम में।
3. श्रीमान प्रबन्धक, नायस एनर्जी लिमिटेड, पता- खानभालिया, पोस्ट चोक्स नम्बर-24 जिला देवभूमि द्वारका (गुजरात) 361305 को भेजकर निवेदन है कि उक्त निर्माण कार्य में अंतिम बिल का भुगतान इस कार्यालय द्वारा अदेयता/अनापति प्रमाण पत्र जारी करने के उपरान्त ही किया जाये।
4. खनि कार्यदेशक-1 कार्यालय हाजा, तह. रोहट।
5. मेसर्स एन.एम.सी. इण्डस्ट्रिज प्रा.लि. तिवासी- प्लॉट नं. 161, फोर्थ लेन दारुखाना, रे-रोड, मुम्बई (महाराष्ट्र)।

खनि अभियन्ता
सोजत सिटी

राजस्थान सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, सोजत सिटी जिला पाली

क्रमांक-खअ/सोजत/एसटीपी/नियम-51(9)(2)/97/2020/

दिनांक

:-अल्पावधि अनुमति पत्र:-

मैसर्स एन.एम.सी. इण्डस्ट्रिज प्रा.लि. निवासी- प्लॉट नं. 161, फोर्थ लेन दारुखाना, रे-रोड, मुम्बई (महाराष्ट्र) ने श्रीमान प्रबन्धक, नायरा एनर्जी लिमिटेड, पता- खागभालिया, पोस्ट बोकस नम्बर-24 जिला देवभूमि द्वारका (गुजरात) के कार्यादेश क्रमांक 6300002481 दिनांक 13.02.2020 के द्वारा Construction contract for Railway Siding Works at Pali Depot, Pali (Rajasthan) के लिए राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के नियम 51 (9) (ii) तथा नियम 74(i) के अनुसार निम्नानुसार रॉयल्टी पेंड खनिज क्रय करने हेतु अल्पावधि अनुमति पत्र के लिए दिनांक 19.06.2020 को ऑनलाईन आवेदन पत्र पेश किया गया जिसकी हार्ड कॉपी दिनांक 22.06.2020 को कार्यालय में प्रस्तुत की गई।

संवेदक फर्म द्वारा नियमानुसार रॉयल्टी राशि व परमिट फीस कुल राशि रूपये 3,82,600/- जरिये ई-चालान संख्या 40046379 दिनांक 18.06.2020 (चालान में अंकित राशि रु 7,86,000/-) से जमा करा दी गई है व डी.एम.एफ.टी. राशि रूपये 37,500/- जरिये ई-चालान 40046702 दिनांक 18.06.2020 (चालान में अंकित राशि रु 77,000/-) व आर.एस.एम.ई.टी. राशि रूपये 7,500/- जरिये डी.डी. संख्या 069253 दिनांक 15.10.2020 (चालान में अंकित राशि रु 9,000/-) तथा एवं टी.सी.एस. राशि रूपये 7,500/- जरिये चालान संख्या 21098 दिनांक 17.03.2021 (चालान में अंकित राशि रु 15,400/-) से जमा करा दिये गये हैं।


अतः एतद्वारा राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के नियम नियम 51 (9) (ii) तथा नियम 74(i) के अनुसार निर्धारित शर्तों पर नीचे अंकित विवरण अनुसार खनिज उठाने की अनुमति जारी की जाती है। इस अल्पावधि अनुमति पत्र के सम्बन्ध में अंकेक्षण अथवा प्राधिकृत संस्था द्वारा आपत्ति अथवा आक्षेप गठित किया जाता है, तो उसके सम्बन्ध में संवेदक उत्तरदायी होगा। उक्त अनुमति की अवधि दिनांक 17.03.2021 से 31.03.2021 तक वैध होगी।

क्र. सं.	नाम खनिज	खनिज की मात्रा (टन में)	रॉयल्टी की दर	कुल रॉयल्टी राशि रु	परमिट फीस राशि रु	कुल राशि रु	खनिज उठाने का स्थान
1	2	3	4	5	6	8	9
1	मुर्रम	15,000 टन	25/-	3,75,000/-	7,600/-	3,82,600/-	खसरा संख्या 58 राजसूा ग्राम-चोटिला तह. रोहट जिला पाली में किए गये संयुक्त सीमांकन अनुसार

विशेष शर्तें:-

1. अनुमतिधारक किसी तीसरे पक्ष के विरुद्ध सरकार को क्षतिपूर्ति करेगा तथा ऐसे दावों को जैसे ही वह उत्पन्न हो, समाधान करेगा।
2. अनुमतिधारक सड़क/भवन, भू-ग्रादि या सार्वजनिक मैदानों/स्थान में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करेगा या उनको कोई नुकसान नहीं करेगा।
3. अनुमतिधारक को विभाग द्वारा ऐसी हिदायत दी जाने पर जहां से खनिज निकाला गया हो सुरक्षा के लिए गड्ढे को पाट देगा या उसके चारों ओर बाड़ लगा देगा।

5. अनुमतिधारक द्वारा बाद अर्जा के एवं अधिक मात्रा में विद्यमान एवं खनिज पर राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के नियम 61 (1) के तहत पत्थरी एवं चकली शक्ति की दस गुणा शक्ति देनी होगी तथा अर्जित क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य भूमि में खनन कार्य नहीं करेगा।
6. अनुमतिधारी खनिज दोहन किसी अन्य भूमि/करागाह/कंचनोट एरिया/वन विभाग द्वारा आवंटित भूमि/रक्षित अभयारण्य/राष्ट्रीय उद्यान तथा उनके सफटी जोन/विभिन्न न्यायालय द्वारा प्रतिबंधित क्षेत्र/किसी व्यक्ति या संस्था की निजी भूमि में उसकी लिखित सहमति के बिना तथा वन पट्टाधारी/लाइसेंसी के स्वीकृत क्षेत्र/पंचायत हेतु आवंटित भूमि/गाँव भूमि/पंचायत द्वारा घोषारोपण क्षेत्र आदि में नहीं करेगा।
7. अनुमतिधारक वन सीमा खनन स्थल के नजदीक हो तो वन सीमा से नियमानुसार निर्धारित दूरी छोड़कर ही खनन कार्य करेगा तथा सार्वजनिक रास्ते, नदी, नाले व सार्वजनिक स्थल जैसे मंदिर इत्यादि एवं आबादी से नियमानुसार निर्धारित दूरी छोड़कर खनन कार्य करेगा।
8. खनन कार्य करते समय हेवी ब्लास्टिंग नहीं करेगा, यदि की जाती है, तो तकनीकी व्यक्ति (इंजिनियर) की देखरेख में की जाये एवं सुरक्षा के नियमों की पूर्णतया पालना करेगा।
9. अनुमतिधारक द्वारा राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के नियम 74(1) के अनुसार 2 मीटर गहराई तक ही खनन कार्य किया जायेगा तथा राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 तथा इसमें समय-समय पर होने वाले संशोधनों की पूर्णतया पालना करनी होगी।


खनि अभियन्ता,

सोजत सिटी

दिनांक 19/03/2021

क्रमांक-समसंख्यक- 777

प्रतिलिपि लिप्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. श्रीमान अधीक्षण खनि अभियन्ता (मु.गा.), निदेशालय, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, उदयपुर को पत्रांक निदे/प्र.2/कास/नियम (NIIAI)/2019/1222 दिनांक 12.11.2020 के क्रम में।
2. श्रीमान अधीक्षण खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, जोधपुर को पत्रांक 4701 दिनांक 16.09.2021 एवं 9267 दिनांक 15.01.2021 के क्रम में।
3. श्रीमान प्रबन्धक, नायरा एनर्जी लिमिटेड, पता- खामभालिया, पोस्ट बोकस नम्बर-24 जिला देवभूमि हारका (गुजरात) 364305 को भेजकर निवेदन है कि उक्त निर्माण कार्य में अंतिम बिल का भुगतान इस कार्यालय द्वारा अदेयता/अनापति प्रमाण पत्र जारी करने के उपरान्त ही किया जाये।
4. खनि कार्यदेशक-11 कार्यालय हाजा, तह, रोहट।
5. मैसर्स एन.एम.सी. इण्डस्ट्रिज प्रा.लि. निवासी- प्लॉट नं. 161, फोर्थ लेन दारुखाना, २-रोड, मुम्बई (महाराष्ट्र)।


खनि अभियन्ता,

सोजत सिटी

राजस्थान सरकार

कार्यालय खनि अभिरक्षा, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, सोजत सिटी जिला पाली

क्रमांक-एअ/सोजत/एसटीपी/नियम-51(9)(2)/38/2020/

दिनांक

-अल्पावधि अनुमति पत्र-

मैसर्स एन.एन.सी. इण्डस्ट्रिय प्रालि निवासी- प्लॉट नं 161, फोर्थ लेन दासरावाला, प-गंज, मुम्बई (महाराष्ट्र) ने श्रीमान प्रबन्धक नापरा एनजी लिमिटेड पता- खाफाशिया, पोस्ट वाक्स नमक-24 जिला येवमूमि द्वारका (गुजरात) के कारादेश क्रमांक 6300002481 दिनांक 13.02.2020 के द्वारा Construction contract for Railway Siding Works at Pali Depot, Pali (Rajasthan) के लिए राजस्थान अधिधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के नियम 51 (9) (ii) तथा नियम 74(i) के अनुसार निम्नानुसार रॉयल्टी वेड खनिज अय करने हेतु अल्पावधि अनुमति पत्र के लिए दिनांक 19.06.2020 को ऑनलाईन आवेदन पत्र भेज किया गया, जिसकी हार्ड कॉपी दिनांक 22.06.2020 को कार्यालय में प्रस्तुत की गई।

सर्वेदक फर्म द्वारा नियमानुसार रॉयल्टी राशि व परमिट फीस कुल राशि रुपये 4,03,000/- जरिये ई-चालान संख्या 40046379 दिनांक 18.06.2020 (चालान में अंकित राशि रु 7,86,000/-) से जमा करा दी गई है व डी.एम.एफ.टी. राशि रुपये 39,500/- जरिये ई-चालान 40046702 दिनांक 18.06.2020 (चालान में अंकित राशि रु 77,000/-) व आर.एस.एम.ई.टी. राशि रुपये 7,900/- जरिये डी.डी संख्या 069251 व 069253 दिनांक 15.10.2020 (चालान में अंकित राशि क्रमशः रु 6,400/- व 9,000/-) तथा एच.टी.सी.एस. राशि रुपये 7,900/- जरिये चालान संख्या 21098 दिनांक 17.03.2021 (चालान में अंकित राशि रु 15,400/-) से जमा करा दिये गये है।


अतः एतद्वारा राजस्थान अधिधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के नियम नियम 51 (9) (ii) तथा नियम 74(i) के अनुसार निर्धारित शर्तों पर नीचे अंकित विवरण अनुसार खनिज उठाने की अनुमति जारी की जाती है। इस अल्पावधि अनुमति पत्र के सम्बन्ध में अक्षेपण अथवा प्राधिकृत संस्था द्वारा आपत्ति अथवा आक्षेप गठित किया जाता है, तो उसके सम्बन्ध में सर्वेदक उत्तरदायी होगा। उक्त अनुमति की अवधि दिनांक 17.03.2021 से 31.03.2021 तक वैध होगी।

क्र. सं.	नाम खनिज	खनिज की मात्रा (टन में)	रॉयल्टी की दर	कुल रॉयल्टी राशि रु	परमिट फीस राशि रु	कुल राशि रु	खनिज उठाने का स्थान
1	2	3	4	5	6	8	9
	मुरम टन	15,800	25/-	3,95,000/-	8,000/-	4,03,000/-	खसरा संख्या 58 राजस्व ग्राम-चोटिला तह. रोहट जिला पाली में किए गये संयुक्त सीमांकन अनुसार

शेष शर्त:-

1. अनुमतिधारक किसी तीसरे पक्ष के विरुद्ध सरकार को क्षतिपूर्ति करेगा तथा ऐसे दावे को जैसे ही वह उत्पन्न हो, समाधान करेगा।
2. अनुमतिधारक सड़क/भवन, भू-प्रादि या सार्वजनिक मैदानों/स्थान में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करेगा या उनको कोई नुकसान नहीं करेगा।
3. अनुमतिधारक को विभाग द्वारा ऐसी हिदायत दी जाने पर जहाँ से खनिज निकाला गया हो सुरक्षा के लिए सड़क को पाट देगा या उसके चारों ओर बाड़ लगा देगा।


5. अनुमतिधारक द्वारा चाहे अवधि के एवं अधिक मात्रा में निकाले गये खनिज पर राजस्थान अर्जान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के नियम 51 (1) के तहत पत्रांक एवं तथ्यांक राशि की दुरु गुणा राशि देनी होगी तथा आवेदित क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य भूमि में खनन कार्य नहीं करेगा।
6. अनुमतिधारक खनिज खान किसी अन्य भूमि/घासगाह/कचमट्ट परिवार/वन विभाग द्वारा आरक्षित भूमि/रक्षित अभयारण्य/राष्ट्रीय उद्यान तथा सनके सेफटी जॉन/विभिन्न न्यायालयों द्वारा प्रतिबंधित क्षेत्र/किसी व्यक्ति या संस्था की निजी भूमि में उसकी विहित सहमति के बिना तथा वेरा पट्टाधारी/लाइसेंसी के स्वीकृत क्षेत्र/पंचायत हेतु आरक्षित भूमि/गोचर भूमि/पंचायत द्वारा पौधारोपण क्षेत्र आदि में नहीं करेगा।
7. अनुमतिधारक वन सीमा खनन स्थल के नजदीक हो तो वन सीमा से नियमानुसार निर्धारित दूरी छोड़कर ही खनन कार्य करेंगे तथा सार्वजनिक रास्ते, नदी, नाले व सार्वजनिक स्थल जैसे मंदिर इत्यादि एवं आबादी से नियमानुसार निर्धारित दूरी छोड़कर खनन कार्य करेंगे।
8. खनन कार्य करते समय हेवी ब्लास्टिंग नहीं करेंगे, यदि की जाती है, तो तकनीकी व्यक्ति (ब्लास्टर) की देखरेख में की जाये एवं सुरक्षा के नियमों की पूर्णतया पालना करेंगे।
9. अनुमतिधारक द्वारा राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के नियम 74(1) के अनुसार 2 मीटर गहराई तक ही खनन कार्य किया जायेगा तथा राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 तथा इसमें समय-समय पर होने वाले संशोधनों की पूर्णतया पालना करनी होगी।


 खनि अभियन्ता,
 सोजत सिटी
 दिनांक

पत्रांक-समसंख्यक- 782

तिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. श्रीमान अधीक्षण खनि अभियन्ता (मु.गा), निदेशालय, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, उदयपुर को पत्रांक: निदे/प.2/कास/नियम (NIIAI)/2019/1222 दिनांक 12.11.2020 के क्रम में।
2. श्रीमान अधीक्षण खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, जोधपुर को पत्रांक 4701 दिनांक 16.09.2021 एवं 9267 दिनांक 15.01.2021 के क्रम में।
3. श्रीमान प्रबन्धक, नायरा एनर्जी लिमिटेड, पता- खामभालिया, पोस्ट बॉक्स नम्बर-24 जिला- देवभूमि द्वारका (गुजरात) 361305 को भेजकर निवेदन है कि उक्त निर्माण कार्य में अंतिम विल का भुगतान इस कार्यालय द्वारा अदेयता/अनापति प्रमाण पत्र जारी करने के उपरान्त ही किया जावे।
4. खनि कार्यदेशक-ग कार्यालय हाजा, तह. रोहट।
5. मैसर्स एन.एम.सी. इण्डस्ट्रिज प्रा.लि. निवासी- प्लॉट नं. 181, फोर्थ लेन दारुखाना, रे-रोड, मुंबई (महाराष्ट्र)।


 खनि अभियन्ता,
 सोजत सिटी

राजस्थान सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, सोजत सिटी जिला पाली

क्रमांक :- खअ/सोजत/एस.टी.पी./2022/ दिनांक :-

कार्यालय आदेश

मैसर्स एस.पी. कन्सट्रक्शन, निवासी- 8बी, साउथ पार्ट, गोपालपुरा जयपुर राजस्थान ने श्रीमान प्रबन्धक, नायरा एनर्जी लिमिटेड, पता- खामभालिया, पोस्ट बोक्स नम्बर-24 जिला देवभूमि द्वारका (गुजरात) के कार्यदिश क्रमांक 630002403 दिनांक 13.11.2019 के द्वारा Civil Construction contract for petroleum Depot at Pali के लिए राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के नियम 51 (9) (ii) तथा नियम 74(ii) के अनुसार निम्नानुसार रॉयल्टी पेड खनिज क्रय करने हेतु कार्य जारी किया गया है। मैसर्स एस.पी. कन्सट्रक्शन, निवासी- 8बी, साउथ पार्ट, गोपालपुरा जयपुर राजस्थान को श्रीमान प्रबन्धक, नायरा एनर्जी लिमिटेड, पता- खामभालिया, पोस्ट बोक्स नम्बर-24 जिला देवभूमि द्वारका (गुजरात) द्वारा जारी उक्त कार्यदिश के सन्दर्भ में उपयोग में आने वाले खनिज साधारण मिट्टी एवं मुरम की अल्पावधि अनुमति राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 के नियम 51 के तहत कार्यालय से प्राप्त की जाकर प्रयुक्त खनिज का कार्यालय में निम्नानुसार विवरण प्रस्तुत किया गया है।

एसटीपी संख्या/ दिनांक	एसटीपी में वर्णित मात्रा	खनिज	संवेदक द्वारा प्रस्तुत रिकॉर्ड के अनुसार खनिज की मात्रा	अन्तर(-/+)	जमा राशि का विवरण				
					रायल्टी	परमित फिस	डीएमएफटी	RSMET	टी.सी.एस.
66 / 2020	25000	सा.मिट्टी	65742.07	-	100000	12600	10000	2000	2000
67 / 2020	26000	सा.मिट्टी			104000	13100	10400	2080	2080
68 / 2020	26000	सा.मिट्टी			104000	13100	10400	2080	2080
57 / 2021	20000	मुरम	19230.08	-	500000	10000	50000	10000	10000

चूकि संवेदक द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त रिकॉर्ड अनुसार उपरोक्त मात्रा अनुसूचित मात्रा अनुसार उपरोक्त एस.टी.पी. में कोई राशि बकाया नहीं है। यह पत्र केवल उक्त रायल्टी पेड खनिज मात्रा के लिए जारी किया गया है। तथा यह निर्धारण केवल इस मात्रा के लिए है। यह पत्र उक्त प्रोजेक्ट के पूर्ण होने पर श्रीमान प्रबन्धक, नायरा एनर्जी लिमिटेड से जारी होने वाले संयुक्त अंतिम खनिज उपयोगिता प्रमाण पत्र के आधार पर पूरे प्रोजेक्ट के अंतिम अधिशुल्क निर्धारण के अध्यक्षीन रहेगा। यह पत्र इस निर्माण कार्य में प्रयुक्त अन्य खनिजों के लिए मान्य नहीं है तथा इस खनिज मात्रा के अतिरिक्त किसी अन्य प्रयोजनार्थ यह पत्र मान्य नहीं होगा।

खनि अभियन्ता

सोजत सिटी

दिनांक 09/12/2022

क्रमांक :- सम/1202

प्रतिलिपि :- 1. मैसर्स एस.पी. कन्सट्रक्शन, निवासी- 8बी, साउथ पार्ट, गोपालपुरा जयपुर राजस्थान के प्रार्थना पत्र दिनांक 02.12.2022 के क्रम में।

2. प्रबन्धक, नायरा एनर्जी लिमिटेड, पता- खामभालिया, पोस्ट बोक्स नम्बर-24 जिला देवभूमि द्वारका (गुजरात) को भेजकर लेख है कि मैसर्स एस.पी. कन्सट्रक्शन, निवासी- 8बी, साउथ पार्ट, गोपालपुरा जयपुर राजस्थान द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार राशि जमा करवाई जा चुकी है। अतः संवेदक कम्पनी मैसर्स एस.पी. कन्सट्रक्शन को अंतिम बिल का भूगतान किया जाता है तो इस कार्यालय को आपत्ति नहीं है।

खनि अभियन्ता
सोजत सिटी

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, सोजत सिटी जिला पाली

क्रमांक :- खअ/सोजत/एस.टी.पी./2022/

दिनांक :-

कार्यालय आदेश

मैसर्स एस.पी. कन्स्ट्रक्शन, निवासी-8बी, साउथ पार्ट, गोपालपुरा जयपुर राजस्थान ने श्रीमान प्रबन्धक, नायरा एनर्जी लिमिटेड, पता- खामभालिया, पोस्ट बोक्स नम्बर-24 जिला देवभूमि द्वारका (गुजरात) के कायदेश क्रमांक 630002403 दिनांक 13.11.2019 के द्वारा Civil Construction contract for petroleum Depot at Pali के लिए राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के नियम 51 (9) (ii) तथा नियम 74(i) के अनुसार निम्नानुसार रॉयल्टी पेड खनिज क्रय करने हेतु कार्य जारी किया गया है। मैसर्स एस.पी. कन्स्ट्रक्शन, निवासी-8बी, साउथ पार्ट, गोपालपुरा जयपुर राजस्थान को श्रीमान प्रबन्धक, नायरा एनर्जी लिमिटेड, पता- खामभालिया, पोस्ट बोक्स नम्बर-24 जिला देवभूमि द्वारका (गुजरात) द्वारा जारी उक्त कायदेश के सन्दर्भ में उपयोग में आने वाले खनिज साधारण मिट्टी एवं मुर्रम की अल्पावधि अनुमति राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 के नियम 51 के तहत कार्यालय से प्राप्त की जाकर प्रयुक्त खनिज का कार्यालय में निम्नानुसार विवरण प्रस्तुत किया गया है।

एसटीपी संख्या/दिनांक	एसटीपी में वर्णित मात्रा	खनिज	सर्वेदक द्वारा प्रस्तुत रिकॉर्ड के अनुसार खनिज की मात्रा	अन्तर(-/+)	जमा राशि का विवरण			
					रायल्टी	परमिट फिस	डीएमएफटी RSMET	टी.सी.एस.
66/2020	25000	सा.मिट्टी	65742.07	-	100000	12600	10000	2000
67/2020	26000	सा.मिट्टी			104000	13100	10400	2080
68/2020	26000	सा.मिट्टी			104000	13100	10400	2080
57/2021	20000	मुर्रम	19230.08	-	500000	10000	50000	10000

चूकिं सर्वेदक द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त रिकॉर्ड अनुसार उपरोक्त अनुमति पत्रों में वर्णित मात्रा एवं सर्वेदक द्वारा उपयोगित मात्रा अनुसार उपरोक्त एस.टी.पी. में कोई राशि बकाया नहीं है। यह पत्र केवल उक्त रायल्टी पेड खनिज मात्रा के लिए जारी किया गया है। तथा यह निर्धारण केवल इस मात्रा के लिए है। यह पत्र उक्त प्रोजेक्ट के पूर्ण होने पर श्रीमान प्रबन्धक, नायरा एनर्जी लिमिटेड से जारी होने वाले संयुक्त अंतिम खनिज उपयोगिता प्रमाण पत्र के आधार पर पूरे प्रोजेक्ट के अंतिम अधिशुल्क निर्धारण के अध्यक्षीन रहेगा। यह पत्र इस निर्माण कार्य में प्रयुक्त अन्य खनिजों के लिए मान्य नहीं है तथा इस खनिज मात्रा के अतिरिक्त किसी अन्य प्रयोजनार्थ यह पत्र मान्य नहीं होगा।

क्रमांक :- सम/120/

प्रतिलिपि :- 1. मैसर्स एस.पी. कन्स्ट्रक्शन, निवासी-8बी, साउथ पार्ट, गोपालपुरा जयपुर राजस्थान के प्रार्थना पत्र दिनांक 02.12.2022 के क्रम में।

2. प्रबन्धक, नायरा एनर्जी लिमिटेड, पता- खामभालिया, पोस्ट बोक्स नम्बर-24 जिला देवभूमि द्वारका (गुजरात) को भेजकर लेख है कि मैसर्स एस.पी. कन्स्ट्रक्शन, निवासी-8बी, साउथ पार्ट, गोपालपुरा जयपुर राजस्थान द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार राशि जमा करवाई जा चुकी है। अतः सर्वेदक कम्पनी मैसर्स एस.पी. कन्स्ट्रक्शन को अन्तिम बिल का भूगतान किया जाता है तो इस कार्यालय को आपत्ति नहीं है।

खनि अभियन्ता
सोजत सिटी

दिनांक 09.12.2022

खनि अभियन्ता
सोजत सिटी

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, सोजत सिटी जिला पाली
क्रमांक :- खअ/सोजत/एस.टी.पी./2022/ दिनांक :-

कार्यालय आदेश

मैसर्स एन.एम.सी. इण्डस्ट्रिज प्रा.लि. निवासी- प्लॉट नं. 161, फोर्थ लेन दारुखाना, रे-रोड, मुम्बई (महाराष्ट्र) ने श्रीमान प्रबन्धक, नायरा एनर्जी लिमिटेड, पता-खामभालिया, पोस्ट बोकस नम्बर-24 जिला देवभूमि द्वारका (गुजरात) के कार्यादेश क्रमांक 6300002481 दिनांक 13.02.2020 के द्वारा Construction contract for Railway Siding Works at Pali Depot, Pali (Rajasthan) के लिए राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के नियम 51 (9) (ग) तथा नियम 74(i) के अनुसार निम्नानुसार रॉयल्टी पेड खनिज क्रय करने हेतु कार्य जारी किया गया है। मैसर्स एन.एम.सी. इण्डस्ट्रिज प्रा.लि. निवासी- प्लॉट नं. 161, फोर्थ लेन दारुखाना, रे-रोड, मुम्बई (महाराष्ट्र) को श्रीमान प्रबन्धक, नायरा एनर्जी लिमिटेड, पता-खामभालिया, पोस्ट बोकस नम्बर-24 जिला देवभूमि द्वारका (गुजरात) द्वारा जारी उक्त कार्यादेश के सन्दर्भ में उपयोग में आने वाले खनिज साधारण मिट्टी एवं मुरम की अल्पावधि अनुमति राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 के नियम 51 के तहत कार्यालय से प्राप्त की जाकर प्रयुक्त खनिज का कार्यालय में निम्नानुसार विवरण प्रस्तुत किया गया है।

एसटीपी संख्या / दिनांक	एसटीपी में वर्णित मात्रा	खनिज	संवेदक द्वारा प्रस्तुत रिकोर्ड के अनुसार खनिज की मात्रा	अन्तर(-/+)	जमा राशि का विवरण		
					रायल्टी	परमित फिस	डीएमएफटी RSMET
93 / 2020	27000	सा.मिट्टी	88201.078	-1.078	108000	13700	10800
94 / 2020	27000	सा.मिट्टी			108000	13700	10800
95 / 2020	27000	सा.मिट्टी			108000	13700	10800
96 / 2020	7200	सा.मिट्टी			28800	3800	2880
97 / 2020	15000	मुरम	27026.216	+3373.784	375000	7600	37500
98 / 2020	15800	मुरम			395000	8000	39500

चूँकि संवेदक द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त रिकोर्ड अनुसार उपरोक्त अनुमति पत्रों में वर्णित मात्रा एवं संवेदक द्वारा उपयोगित मात्रा अनुसार उपरोक्त एस.टी.पी. में कोई राशि बकाया नहीं है। यह पत्र केवल उक्त रायल्टी पेड खनिज मात्रा के लिए जारी किया गया है। तथा यह निर्धारण केवल इस मात्रा के लिए है। यह पत्र उक्त प्रोजेक्ट के पूर्ण होने पर श्रीमान प्रबन्धक, नायरा एनर्जी लिमिटेड से जारी होने वाले संयुक्त अंतिम खनिज उपयोगिता प्रमाण पत्र के आधार पर पूरे प्रोजेक्ट के अंतिम अधिशुल्क निर्धारण के अध्यक्षीन रहेगा। यह पत्र इस निर्माण कार्य में प्रयुक्त अन्य खनिजों के लिए मान्य नहीं है तथा इस खनिज मात्रा के अतिरिक्त किसी अन्य प्रयोजनार्थ यह पत्र मान्य नहीं होगा।

क्रमांक :- सम / 1047

प्रतिलिपि :- 1. मैसर्स एन.एम.सी. इण्डस्ट्रिज प्रा.लि. निवासी- प्लॉट नं. 161, फोर्थ लेन दारुखाना, रे-रोड, मुम्बई को प्रार्थना पत्र दिनांक 19.05.2022 के क्रम में।
2. प्रबन्धक, नायरा एनर्जी लिमिटेड, पता-खामभालिया, पोस्ट बोकस नम्बर-24 जिला देवभूमि द्वारका (गुजरात) को भेजकर लेख है कि मैसर्स एन.एम.सी. इण्डस्ट्रिज प्रा.लि. द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार राशि जमा करवाई जा चुकी है। अतः संवेदक कम्पनी मैसर्स एन.एम.सी. इण्डस्ट्रिज प्रा.लि. को अंतिम बिल का भुगतान किया जाता है तो इस कार्यालय को आपत्ति नहीं है।

खनि अभियन्ता

सोजत सिटी

दिनांक 01/12/2022

खनि अभियन्ता

सोजत सिटी